XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 1912–पीबीआर/13 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कर्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15.5.15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी तहसीलदार, सिरोंज जिला विदिशा द्वारा प्रकरण कमांक 30/अ–3/11–12 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 29.4.13 से असंतुष्ट होकर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। यह प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के अनुसार नामांतरण या बटवारे का न होकर नक्शे में बटान डालने के संबंध में है जबकि आवेदक का कहना है कि बटवारे के संबंध में निगरानी राजस्व मंडल में विचाराधीन है और व्यवहान न्यायालय में भी प्रकरण विचाराधीन है इसलिए प्रकरण स्थगित रखने की उन्होंने मांग की है । चूंकि वर्तमान प्रकरण बटवारे का नहीं है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है वह अपने स्थान पर उचित है औरउसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी निरस्त की जाती है । 4– उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । सदस्य	